बाल कल्याण संगठनों के खिलाफ शिकायतें

597. चौधरी हरमोहन सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल कल्याण संगठनों में श्रमिकों की भर्ती तथा बच्चों के लिए खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला तथा बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासव राजेश्वरी) : (क) से (ग) बाल कल्याण संगठन, बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रमों का, बच्चों के लिए शिशुगृहों का संचालन कर रहे हैं तथा समेकित बाल विकास सेवाओं (आई. सी. डी. एस.) के अन्तर्गत कुछ परियोजनाओं का वित्तपोषण इस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ये केन्द्र अवैतनिक स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं द्वारा चलाए जाते हैं। श्रमिकों की कोई भर्ती नहीं की जाती। वर्ष 1992-93 के दौरान इन केन्द्रों में बच्चों को दी जाने वाली खाद्य-सामग्री की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

राजस्थान में खेलकूद तथा शैक्षणिक संस्थाओं के खिलाफ शिकायत

598. श्री शिवचरण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितनी खेलकूद और शैक्षणिक संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है और उन संस्थाओं के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक संस्था को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है ;

(ख) कितनी संस्थाओं के खिलाफ शिकायतें की गई हैं तथा इन शिकायतों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है और ऐसी कितनी संस्थाएं हैं जिन्हें भंग कर दिया गया है अथवा जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मुकुल वासनिक) (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार तथा राजस्थान में स्थित संस्थाओं को खेल सुविधाएं सृजित करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है जिसका ब्यौरा विवरण में दिया गया है। (नीचे देखिये) इसके अलावा भारतीय खेल प्राधिकरण